Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	पेशी पर मा. राजस्व मण्डल, अजमेर में चल रहे प्रकरण की स्थिति पेश करें। अन्यथा न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश दिया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी आप अधिवक्ता गण की होगी। इस न्यायालय की कार्यवाही की रोक है या नहीं स्पष्ट करें। पत्रावली वास्ते मा. राजस्व मण्डल, अजमेर प्रकरण की स्थिति पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 27/05/2024 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
27/05/24	पत्रावली पेश। अधि. प्रति. द्वारा मा. राजस्व मंडल, अजमेर में चल रहे प्रकरण की copy पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों, शपथ-पत्र, कानूनी उदरणों के आधार पर निम्नानुसार वाद निस्तारण किया जाता है- " प्रा. पत्र under 07 R11 CPC स्वीकार करते हुए वाद खारिज किया जाता है। As per 07 R11 CPC (d) -" where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law." As per section 188 of RTA -" Any	4

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER .....

Number of Case ..... Year .....

..... Versus .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of comp of the Order

tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded by landlord or any other person may bring a suit for the grant of perpetual injunction"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि धारा 188 राज. काश्तकारी कानून के तहत केवल tenant वाद ला सकता है। चूंकि वादीगण tenant of disputed land नहीं हैं, अतः वाद की later stages में किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं होगा। अतः वाद इसी stage पर खारिज फरमाया जाता है।" आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Pronounced

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर